

नं: 1:05:138: I: सीएस

दिनांक: 14.12.2023

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051.	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, मंजिल - 25, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

विषय: पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी - सोलापुर ट्रांसमिशन लिमिटेड का निगमन

महोदया/महोदय,

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) कंपनी को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है:

एस.पी.वी. का नाम	उद्देश्य
सोलापुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14 दिसंबर, 2023 को "महाराष्ट्र में सोलापुर (1500 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" विकसित करने हेतु।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से डेवलपर के चयन के लिए 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' (बीपीसी) के रूप में नामित किया गया है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, बीपीसी को परियोजना प्रोफाइल तैयार करना होता है और यदि आवश्यक हो तो भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। इन गतिविधियों के लिए, एक विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) को शामिल किया जाना आवश्यक है जो पारेषण

परियोजनाओं की विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करना, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू करना और यदि आवश्यक हो तो वन मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा।

एसपीवी को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया जाना है।

विद्युत मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2023 के राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-18052023-245946 के अंतर्गत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) को बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नियुक्त किया।

तदनुसार, एसपीवी को पीएफसीसीएल और पीएफसी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद उपर्युक्त पारेषण योजना विकसित करने के लिए पीएफसीसीएल की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस एसपीवी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता परियोजना का विकास करेगा।

आपकी जानकारी और रिकार्ड हेतु।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com